न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 46/2023 बउनवानी रामस्वरूप साहू बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर स0मा0 पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण साहू निवासी प्रेम मंदिर सिनेमा के सामने टोंक रोड़ बजरिया,स0मा0

GCMS No-2023/87

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
2.8.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही । लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 19.4.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. आवेदक ने दिनांक 15.4.3023, 16.4.2023 ,17.4.2023 एवं 19.4.2023 को श्रीमान जिला कलेक्टर, अति0जिला कलेक्टर,उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को प्रार्थना पत्र बाबत विजय जैन पुत्र रतन लाल जैन ,विजय आयरन स्टोर प्रेम मंदिर सिनेमा के सामने बजरिया द्वारा सैकड़ो टन लोहा 80 फिट सड़क पर डालकर रोड बाधित करने व आवागमन रोकने की शिकायत दी थी। प्रार्थी द्वारा की गयी शिकायत पर अब तक की गयी कार्यवाही की सम्पूर्ण सूचना चाहिए। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर स0मा0 को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2023/1821 दिनांक 01.08.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 19.4.2023 के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1793 दिनांक 20.7.2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतःअपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 19.4.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1793 दिनांक 19.4.2023 से भिजवायी जा चुकी है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट को सूचना अधिनियम की तय सीमा के उपरान्त उपलब्ध करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देकर अधिनियम में तय समय सीमा में प्राथमिकता से निस्तारण किया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.12.19 11:41:09 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner